न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/37 **दायरा दिनांक : 24.02.2025**

उनवान

मृतक रामचन्द पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0

1. तोताराम उम्र 36 वर्ष पुत्र
2. आदेश उम्र 32 वर्ष पुत्र
3. अशोक उम्र 30 वर्ष पुत्र
4. शांति बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री
5. सुक्खा बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री
6. चन्द्रकान्ता उम्र 40 वर्ष पुत्री

रामचन्द्र जातियान कुम्हार, निवासीगण उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. मृतक रामपाल पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   - 1/1. शम्भू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामपाल
   - 1/2. रूकमणी बाई पुत्री रामपाल
   - 1/3. विमला बाई पुत्री रामपाल
   - 1/4. नट्टी बाई पुत्री रामपाल
   - 1/5. ममता बाई पुत्री रामपाल
2. मृतक केसरा पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   - 2/1. रघुनाथ उम्र 55 वर्ष पुत्र केसरा
   - 2/2. द्रोपदी बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री केसरा
   - 2/3. बरजी बेवा केसरा मृतक
3. मृतक जगन्नाथ पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   - 3/1. महावीर उम्र 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
   - 3/2. बाबू लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
   - 3/3. पन्नी बाई बेवा जगन्नाथ मृतक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राजस्थान .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1, 1/2, 1/3 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 12.12.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 2022/156 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लालगंज, तहसील किशनगंज में खसरा नं. 89 रकबा 6.04 बीघा, खसरा नं. 90 रकबा 10.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 16.14 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2024 से विभाजन प्रस्ताव आर.टी.एक्ट नियम 18 से 21 की अनुपालना में सही, स्पष्ट व तार्किक होने से अंतिम विभाजन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दस्तावेजात एवं साक्ष्य का विवेचन विधि अनुसार नहीं किया जाकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। वादी रामपाल/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में आराजी खसरा नं. 89 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं. 90 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा ग्राम लालगंज, पटवार हल्का बरूनी की कृषि भूमि में बंटवारा किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था, उक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट वर्तमान खसरा सं० 118 रकबा 1.0000 हेक्टर, खसरा सं० 119 रकबा 1.7000 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 2.7000 हेक्टर दर्ज किया गया है। उक्त आराजी पुश्तैनी थी जो पूर्व में नैना जी के खाते में दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र रामचन्द्र केसरा, जगन्नाथ, रामपाल थे, जिनके हिस्से में 1/4, 1/4 हिस्सा आराजी दर्ज हुई। वर्तमान राजस्व रेकार्ड खाता जमाबन्दी में खसरा सं० 118 व 119 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खाते व हिस्से की आराजी है, जिसके पूर्वी ओर खसरा सं० 116 रकबा 0.6400 हेक्टर खातेदार रामचन्द्र पूत्र नैनू हिस्सा 1/2 एवं शम्भूलाल पुत्र रामपाल हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। इसी प्रकार से ख० सं० 117 रकबा 0.3000 हेक्टर खातेदार शम्भूलाल पुत्र रामपाल के खाते दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात आपस में मिली हुई है तथा समस्त खातेदार एक ही परिवार के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 08.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसमें अपीलान्टगण को पूर्वी और ख० सं० 118 में से 0.3250 हेक्टर एवं ख० सं० 119 में से 0.3500 हेक्टर कुल आराजी 0.6750 हेक्टर दी गई थी तथा रामपाल को ख० सं० 118 में से 0.6750 हेक्टर आराजी दी गई थी, इसी प्रकार रघुनाथ पुत्र केसरा के परिवार को ख० सं० 119 में से 0.6750 हेक्टर आराजी दी गई थी तथा महावीर पुत्र जगन्नाथ के परिवार को ख० सं० 119 मध्य में 0.6750 हेक्टर आराजी दी गई थी जो सही एवं निष्पक्ष था तथा सभी सहखातेदारान के हित में था। आराजी ख० सं० 118 के पूर्वी और ख० सं० 116 रकबा 0.6400 हेक्टर में हिस्सा 1/2 रामचन्द्र के खाते दर्ज है जिसे ख० सं० 118 के उत्तरी और दिये जाने से दोनों नम्बर की भूमि इकजाई हो गई है इसी प्रकार से ख० सं० 118 के दक्षिणी और रामपाल को ख० सं० 118 में 0.6750 हेक्टर दी गई है जिसके पूर्वी और उसके पुत्र शम्भूलाल पुत्र रामपाल के खाते की आराजी ख०सं० 116 रकबा 0.3200 हेक्टर एवं ख० सं० 117 रकबा 0.3000 हेक्टर आपस में मिलकर इकजाई हो चुकी है इस कारण तहसीलदार किशनगंज की प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 सुविधाजनक एवं प्रमाणित है। दिनांक 06.11.2024 को बनाया गया मौका पर्चा विभाजन प्रस्ताव में आराजी ख० सं० 118 एवं ख० सं० 119 में सभी में पृथक पृथक चार चार हिस्से कर दिये गये है जिससे सभी खातेदारान को पृथक पृथक स्थान पर छोटे छोटे टुकडो में काश्त व्यवस्था करने में असुविधा उत्पन्न होगी तथा आपसी विवाद बढ़ने की संभावना है इस कारण उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अपीलान्टगण के परिवार का गत 50 सालो से भी अधिक समय से मौके पर कब्जा मुताबिक प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 के आधार पर ही विभाजन किया गया था जो कि सही था तथा वर्तमान में भी अपीलान्टगण उसी स्थान पर मौके पर काबिज काश्त है तथा कब्जा मुताबिक ही विभाजन करवाकर नक्शे में तरमीम करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2024 प्रकरण सं० 2022/156 निरस्त फरमाया जावे एवं पूर्व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.05.2024 के अनुसार बंटवारा स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रामपाल ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। खसरा नं. 118, 119 की आराजी है। दोनों खसरा नम्बरों के चार चार टुकडे कर दिये जो गलत है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 के अनुसार विभाजन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हम तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 से सहमत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट रामपाल द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है ग्राम लालगंज में खसरा नं. 89 रकबा 6.04 बीघा एवं खसरा नं. 90 रकबा 10.10 बीघा किता 2 कुल रकबा 16.14 बीघा आराजी वादी व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता. 7 के संयुक्त खाते में स्थित है जिसमें वादी अपने 1/4 हिस्से पर उत्तर से दक्षिण काबिज है। उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से काश्त व्यवस्था में व्यवधान होने के कारण वादी का 1/4 हिस्सा उत्तर से दक्षिण पृथक किया जाकर, पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दखल प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का 1/4 हिस्सा पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में प्रतिवादी नं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकित किया जावे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय अंता द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2010 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद तथा प्रतिवादी क्रम 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजी में वादी रामपाल एवं प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार पृथक–पृथक विभाजन करने के आदेश दिये। साथ ही विभाजन प्रस्ताव वादी के कब्जे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 20 एवं 21 की पालना करते हुए तहसीलदार किशनगंज को एक माह में भिजवाने हेतु आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

तहसीलदार किशनगंज के पत्रांक 713 दिनांक 13.09.2012 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामपाल द्वारा आपत्ति पेश करने के पश्चात पुनः तहसीलदार किशनगंज के पत्रांक 976 दिनांक 25.07.2014 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2015 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.03.2025 से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 10/2016 से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दिनांक 29.02.2016 को अपील दायर की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 से अपील सारहीन होने से खारिज की गयी। न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या अपील डिक्री/टीए/3693/2017/ बारां से अपील पेश की गयी। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.2022 से अधीनस्थ न्यायालय किशनगंज द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.03.2015 एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय किशनगंज को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उभयपक्ष की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम 1955– नियम 18 से 21 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाद में आवश्यक रूप से तीन माह में अंतिम डिक्री करे।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 30.05.2022 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार किशनगंज के पत्रांक 1939 दिनांक 15.03.2023 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जिस पर प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र द्वारा आपत्ति पेश की गयी। तत्पश्चात् तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपने पंत्राक 344 दिनांक 13.05.2024 से पुनः विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 रघुनाथ द्वारा आपत्ति पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार किशनगंज को नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश दिये जाने के फलस्वरूप तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपने पत्रांक 9343 दिनांक 08.11.2024 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये, जिस पर फिर से प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द्र द्वारा आपत्ति पेश कर पूर्व में दिनांक 13.05.2024 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25.11.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र के वारिसान द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 15.03.2023, 13.05.2024 एवं 08.11.2024 तथा पक्षकार रामचन्द्र द्वारा दिनांक 15.03.2023 के विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 28.07.2023, पक्षकार रघुनाथ एवं रामपाल द्वारा दिनांक 13.05.2024 के विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्तियां दिनांक 31.05.2024, पुनः पक्षकार रामचन्द्र (अपीलांट के पिता) द्वारा दिनांक 08.11.2024 के विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 25.11.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के पूर्व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के संबंध में आपसी सहमति का अभाव है। पक्षकार रघुनाथ व रामपाल द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नं. 118, 119 की आराजी उत्तरी मेड पर पानी का धोरा है और दक्षिण में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रास्ता है। विधिक रूप से धोरे के पानी व रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार सभी सहखातेदारों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। अपीलांट केवल अपने खाते एवं शम्भूलाल पुत्र रामपाल रेस्पोडेंट कम 1/1 के खाते की आराजी खसरा नं. 116 के लगवा आराजी खसरा नं. 118 के उत्तरी भाग की आराजी को विभाजन में प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कारण दिनांक 13.05.2024 के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2024 के विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुए अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा दिनांक 13.05.2024 को प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विवादित आराजी का विभाजन चाहा है परन्तु इस विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यह विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जिस पर वादी रामपाल व प्रतिवादी रघुनाथ ने दिनांक 31.05.2024 को आपत्तियां पेश की है। आपत्तिकर्ता रामपाल व रघुनाथ का कथन है कि खसरा नं. 118 व 119 के उत्तर में स्थित धोरा व दक्षिण में स्थित रास्ते को ध्यान में रखते हुए दोनों खसरा नम्बर की अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का समान रूप से विभाजन किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य आपसी असहमति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08.11.2024 तहसीलदार किशनगंज द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दोनों खसरा नं. 118 व 119 में उत्तर से दक्षिण सभी पक्षकारान को 1/4, 1/4 हिस्सा देते हुए अंतिम डिक्री पारित की है। दिनांक 08.11.2024 के विभाजन प्रस्ताव पर स्पष्ट टिप्पणी अंकित है कि अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से मना किया। पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त अनुसार विवादित आराजी के विभाजन की सहमति के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2024 के विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2024 यथावंत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मृतक रामचन्द पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
1. तोताराम उम्र 36 वर्ष पुत्र
2. आदेश उम्र 32 वर्ष पुत्र
3. अशोक उम्र 30 वर्ष पुत्र
4. शांति बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री
5. सुक्खा बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री
6. चन्द्रकान्ता उम्र 40 वर्ष पुत्री

रामचन्द्र जातियान कुम्हार, निवासीगण उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. मृतक रामपाल पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   1/1. शम्भू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामपाल
   1/2. रूकमणी बाई पुत्री रामपाल
   1/3. विमला बाई पुत्री रामपाल
   1/4. नट्टी बाई पुत्री रामपाल
   1/5. ममता बाई पुत्री रामपाल
2. मृतक केसरा पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   2/1. रघुनाथ उम्र 55 वर्ष पुत्र केसरा
   2/2. द्रोपदी बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री केसरा
   2/3. बरजी बेवा केसरा मृतक
3. मृतक जगन्नाथ पुत्र नैना,जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   3/1. महावीर उम्र 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
   3/2. बाबू लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
   3/3. पन्नी बाई बेवा जगन्नाथ मृतक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2025/37**
मु.द.नं0 **2022/156**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय व अतिंम डिक्री दिनांक – **25.11.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26 माह 11** सन् **2025**

उपस्थित **श्री घनश्याम गर्ग** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1, 1/2, 1/3 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2024 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **12 माह 12 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)